कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/1-अ/ 1675 भोपाल,दिनांक, 19-6-98

प्रति, समस्त वन संरक्षक,
समस्त वन मण्डलाधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :-वन अपराध प्रकरणों में त्वरित जॉच 1

—0000—

प्रमुख सचिव वन द्वारा माह जून 98 में सम्पन्न विभाग की समीक्षा बैठक में भारी संख्या में लम्बित वन अपराध प्रकरणों एवं न्यायालय में प्रस्तुत वन अपराध प्रकरणों की सामयिक समीक्षा न होने के संबंध में गहरी चिन्ता प्रकट की है 1वन अपराध प्रकरण वर्षो से लम्बित रहने एवं गंभीर प्रकरणों के संबंध में न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं करने एवं न्यायालय में विचाराधीन वन अपराध प्रकरणों की उचित ढंग से पैरवी नहीं करने के कारण ही वन अपराध प्रकरणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है 1

इस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्देश प्रसारित किये गये है जिन में विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों की त्वरित निराकरण की बात कही गई है 1ऐसे अभियानों में क्या उपलब्धी रही है इसके संबंध में प्रतिवेदन भी मॉगे जाते रहे है किन्तु संभवतः आपके द्वारा इस ओर विशेष रूचि नहीं ली गई है 1 इस कार्यालय द्वारा अक्टूबर'97 में वन अपराध प्रकरणों की जॉच,प्रश्मन के विषय में पत्र क्रमांक 2995 दिनांक 29-10-97 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये जिसमें यह कहा गया है कि वन अपराध प्रकरणों की जॉच कर वसूली के साथ प्रेशमन की कार्यवाही अथवा न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही कालातीत होने के पूर्व अर्थात् एक वर्ष के अंतर्गत पूर्ण करा ली जाय 1 यह भी सुझाव दिया गया है कि 1-1-97 के बाद जारी किये गये वन अपराध प्रकरणों की जॉच एवं निराकरण की उचित कार्यवाही इस प्रकार से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जाय जिससे 1-1-97 के बाद कोई भी प्रकरण निराकरण हेतु लम्बित न रहे 1 इन्हीं निर्देशों में यह भी कहा गया था कि वन मण्डलाधिकारी प्रत्येक माह एवं वन संरक्षक तीन माह के अंतरला में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा आवश्यक रूप से करें जिससे स्थिति का आंकलन होता रहे 1

आपके द्वारा की गई समीक्षा में क्या परिणाम मिले कृपया 30-6-98 तक मुझे सूचित करने का कष्ट करें 1 प्रमुख सचिव वन महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि आगामी वर्षाऋतु में वन अपराध प्रकरणों की जॉच हेतु विशेष अभियान चलाये जाय इस प्रकार वन अपराध प्रकरणों का निराकरण किया जाय जिससे कालातीत होने वाले प्रकरण तो शेष न रहें साथ ही पुराने प्रकरणों की संख्या न्यूनतम पर लाई जाय 1इस अभियान की समाप्ती पर निराकृत किये गये प्रकरणों को वृतवार जानकारी संकलित कर मुझे15-10-98 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाय 1 कृपया इसे उचित प्राथमिकता देने का कष्ट करें 1

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण),
मध्यप्रदेश .